



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125507

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 17191/2026

विक्रांत उर्फ विक्कीआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शकील अहमद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राज कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शकील अहमद, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान, थाना हल्दौर, जिला बिजनौर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 237/2025, अंतर्गत धारा 103(1), 191(2), 351(3), 352, 115(2), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
- अभियोजन कहानी के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 को इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि आवेदक ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर पूर्व रंजिश के कारण प्रथम सूचनाकर्ता, मृतक अभिषेक और हिमांशु कुमार के साथ मारपीट की थी। बाद में, मृतक अभिषेक ने अपनी चोट के कारण दम तोड़ दिया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और साथ ही प्रथम सूचनाकर्ता एवं अन्य घायल गवाह हिमांशु के बयानों के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पांच अभियुक्तों के विरुद्ध उन्हें लाठी और रॉड से पीटने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे सिर में एक ही चोट लगी थी जो घातक पाई गई और आवेदक को वह चोट पहुंचाने की कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है, यहाँ तक कि हिमांशु और साथ ही प्रथम सूचनाकर्ता को आई एक ही चोट भी प्रकृति में साधारण पाई गई थी। यह आगे तर्क दिया गया कि आवेदक की निशानदेही पर, बिना किसी खून के धब्बे के एक लोहे का पाइप बरामद होना दिखाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त प्रशांत उर्फ मोनू को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13485/2026 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। अंत में यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासती पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 10.10.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि वर्तमान आवेदक को हेतु (मोटेव) सौंपा गया है। इसलिए, आवेदक की भूमिका भिन्न है, परंतु वे आवेदक की भूमिका के संबंध में समानता और साथ ही अपराध की प्रकृति का खंडन नहीं कर सके।
6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखने के साथ-साथ एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किए गए कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय के अधिदेश और साथ ही जमानत देने के संबंध में 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किए गए माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-विक्रांत उर्फ विककी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।

ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे निष्ठापूर्वक विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
10. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **4/2021** (जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति संदर्भ में), जिसका निर्णय **31.01.2023** को हुआ और जो **(2024) 10 एससीसी 685** पर रिपोर्टेड है, के मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में, और साथ ही रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **169/2025** (पिला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य), जिसका निर्णय **29.05.2026** को हुआ, के मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ईमेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

4 जून, 2026

एस.सी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"